परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

पत्र सं0-3042 एफए/06-349एफए/88 दिनांक 8 दिसम्बर, 06.

1- समस्त मण्डलीय प्रधान प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

2- प्रधान प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम,
केन्द्रीय कार्यशाला/STO राम मनोहर लोहिया कार्यशाला,
कानपुर।

3- प्रधानाचार्य,
उ0प्र0 परिवहन निगम,
प्रशिक्षण संस्थान,
कानपुर।

4- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

5- अधिशासी अभियन्ता(पूर्व/पश्चिम),
उ0प्र0 परिवहन निगम,
मुख्यालय, लखनऊ।

6- प्रबन्धक(आहरण-वितरण),
उ0प्र0 परिवहन निगम,
मुख्यालय, लखनऊ।

7- प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम,
कार सेक्शन,
लखनऊ।

8- समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वि0)/सम्परीक्षा अधिकारी/
सहायक लेखाधिकारी,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषय:- उ0प्र0 परिवहन निगम के कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-2052 एफए/06-349एफ दिनांक 25-9-06 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके साथ बिन्दु संख्या-2 में निम्न निर्देश जारी किये गये हैं:-

" चिकित्सा नियमावली के भाग-4 की धारा-20 में कैंसर/दमा/टी0बी0/गठिया/हृदय रोग/मधुमेह/एड्स/कुष्ठ रोग/कुत्ता काटने/हड्डी टूटने की बीमारियों में बिना भर्ती हेतु वाह्य रोगी के रूप में कराये गये चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योग्य होते हैं। किन्तु क्षेत्रों/ इकाईयों द्वारा इन बीमारियों से अन्यथा बीमारियों में भी वाह्य रोगी के रूप में कराये गये वाउचर्स प्रतिपूर्ति हेतु अग्रसारित किये जा रहे हैं।"

इसी क्रम में अवगत कराना है कि चिकित्सा नियमावली 1994 के भाग-4 की धारा-20 में उल्लिखित बीमारियों के पश्चात "आदि" शब्द अंकित है, पर सम्यक विचारोपरान्त प्रबन्ध निदेशक महोदय ने निम्न निर्देश दिये हैं:-

" धारा-20 में इंगित गम्भीर बीमारियों के अतिरिक्त "आदि" शब्द की विवेचना के सम्बन्ध में मात्र राजकीय चिकित्सालयों के मेडिकल सुपरिटेंडेन्ट ,

Downloaded from www.upsrtc.com

मेडिकल कालेजों के विभागाध्यक्ष एवं आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि उक्त बीमारी गम्भीर है तथा इसका लम्बी अवधि तक उपचार होना है, को वाह्य रोगी के रूप में कराये जा रहे उपचार की व्यय प्रतिपूर्ति की जायेगी।"

कृपया उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

§ एस0 पी0 वर्मा §
वित्त नियंत्रक।

Downloaded from www.upsrtc.com